न्यायालय :– तहसीलदार (राजस्व), श्रीकरनपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री गोकुलदान

नियमित प्रकरण सख्या :– 4/2017

1. रामाराम पुत्र जीवाराम जाति बावरी निवासी चक 4 एफ एफ ए तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।

(मृतक)

1/1. श्यामली बेवा रामाराम जाति बावरी निवासी चक 3 एम एल डी तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।

1/2. उमली पुत्री रामाराम जाति बावरी निवासी चक 3 एम एल डी तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।

1/3. मामराज पुत्र रामाराम जाति बावरी निवासी चक 3 एम एल डी तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।

1/4. चुनीराम पुत्र रामाराम जाति बावरी निवासी चक 3 एम एल डी तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।

1/5. सिंगारी पुत्री रामाराम जाति बावरी निवासी चक 3 एम एल डी तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।

1/6. चवना देवी पुत्री रामाराम जाति बावरी निवासी चक 3 एम एल डी तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. भजन सिंह पुत्र हरबन्स सिंह जाति जटसिख निवासी चक 4 एफ एफ ए तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।

2. मोमन राम पुत्र मोहना राम जाति नायक निवासी चक 4 एफ एफ ए तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।

--2

Scanned by CamScanner

3. राजस्थान सरकार।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :—

1. श्री भगवानदास, एडवोकेट, श्रीकरनपुर प्रार्थीगण की ओर से।
2. अप्रार्थी सख्या 1 व 2 एक पक्षीय

निर्णय दिनांक 31.07.2019

1. पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल अजमेर, रिमाण्ड होकर प्राप्त हुई। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 13.01.2017 में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलैक्टर सतर्कता श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 18.05.2004 की पुष्टि करते हुये प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त एंव सारगर्मित तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण के पिता रामाराम ने न्यायालय के समक्ष दिनांक 05.07.2000 को जैरदफा 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रार्थना पत्र इस आश्य का पेश किया कि प्रार्थी जाति से बावरी है जो अनुसूचित जाति की श्रेणी में आता है। प्रार्थी के खातेदारी भूमि चक 4 एफ एफ ए तहसील श्रीकरनपुर के खेवट सख्या 74 के मु0नं0 53 के 11 बीघा 6 बिस्वा, किला नं0 1 के 16 बिस्वा, किला नं0 2 के 16 बिस्वा, किला नं0 3 के 16 बिस्वा, किला नं0 4 के 16 बिस्वा, किला नं0 5 के 14 बिस्वा, किला नं0 6 के 18 बिस्वा, किला नं0 7 ता 12 प्रत्येक सालम—सालम तथा किला नं0 13/1 के 10 बिस्वा आराजी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थी की आराजी पर भजन सिंह पुत्र हरबंस सिंह जाति जटसिख निवासी चक 4 एफ एफ ए जो स्वर्ण जाति का है, भजन सिंह ने प्रार्थी की आराजी पर अवैध रूप से अतिक्रमण कब्जा कर रखा है। जिसे बेदखल कर कब्जा प्रार्थी को दिलवाया जावे।

--3

Scanned by CamScanner

3. हस्तगत प्रकरण पुनः प्राप्त होने पर प्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता दिनांक 18.05.2017 को उपस्थिति हुए तथा अप्रार्थी मोमन राम जरिये अधिवक्ता अण्डरटैकिंग उपस्थित होकर वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु अवसर चाहा था। दिनांक 10.12.2018 को अप्रार्थी मोमन राम के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

4. प्रार्थीगण की ओर से मुख्य परिक्षण साक्ष्य में पी0ड0–1 मामराज, पी0ड0–2 चुनी राम, पी0ड0–3 हनुमान, पी0ड0–4 सुखदेव राम के ब्यान लेखबद्ध करवाये गये।

5. बहस अंतिम सुनी गई एंव पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दौरान बहस विद्धवान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्ध कोई भी साक्ष्य पेश नहीं की गई है और ना ही प्रार्थना पत्र जबाव पेश किया गया है। प्रार्थीगण के द्वारा यह पूर्ण सिद्ध किया गया है कि चक 4 एफ एफ ए तहसील श्रीकरनपुर के खाता सख्या 74 के मु0नं0 53 में प्रार्थीगण की 11 बीघा 6 बिस्वा आराजी पर अप्रार्थी भजन सिंह ने बतौर अतिक्रमी कब्जा कर रखा है। प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में पी0ड0–1 मामराज, पी0ड0–2 चुनी राम, पी0ड0–3 हनुमान, पी0ड0–4 सुखदेव राम के ब्यान लेखबद्ध करवाये है। अतः भजन सिंह को विवादित रकबा से बेदखल कर कब्जा प्रार्थीगण को सौंपा जावे।

6. पी0ड0–1 मामराज, पी0ड0–2 चुनी राम, पी0ड0–3 हनुमान, पी0ड0–4 सुखदेव राम ने अपने मुख्य परिक्षण स्वरूप शपथ पत्र में कथन किया कि चक 4 एफ एफ ए तहसील श्रीकरनपुर के खाता सख्या 74 के मु0नं0 53 में 11 बीघा 6 बिस्वा नहरी आराजी रामाराम पुत्र जीवाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त विवादित रकबा पर भजन सिंह पुत्र हरबंस सिंह जाति जटसिख ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। उक्त प्रार्थना पत्र

--4

Scanned by CamScanner

विचाराधीन रामाराम की मृत्यु हो गई। जिसपर प्रार्थीगण को रामाराम के वारिसान को बतौर पक्षकार बनाया गया है। न्यायालय के आदेशानुसार दिनांक 11.10.2001 के तहत विवादित रकबा का कब्जा रामाराम के समस्त वारिसान को दिनांक 15.10.2001 को सौंप दिया था। इन्तकाल प्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दिया गया था।

7. अप्रार्थीगण द्वारा जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया गया है और ना ही प्रार्थना पत्र के खण्डन में कोई साक्ष्य पेश की है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र व प्रार्थीगण की साक्ष्य पूर्णतः अखण्डनीय है।

8. प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व प्रार्थीगण की साक्ष्य को मद्यनजर रखते हुये प्रार्थीगण के पिता रामाराम पुत्र जीवाराम जाति बावरी निवासी चक 4 एफ एफ ए ने इस न्यायालय में दिनांक 05.02.2000 को अन्तर्गत धारा 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया कि उसकी खातेदारी कृषि भूमि चक 4 एफ एफ ए तहसील श्रीकरनपुर की जमाबन्दी सम्बत् 2054 के खाता सख्या 74 के मु0नं0 53 के 11 बीघा 6 बिस्वा आराजी किला नं0 1 ता 4 प्रत्येक 16–16 बिस्वा व किला नं0 5 में 14 बिस्वा, किला नं0 6 में 18 बिस्वा व किला नं0 7 ता 12 प्रत्येक सालम–सालम तथा किला नं0 13/1 के 10 बिस्वा आराजी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। भजन सिंह पुत्र हरबंस सिंह ने उपरोक्त आराजी पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है।

निर्णय दिनांक 31.7.19

9. परिणाम स्वरूप प्रार्थीगण के पिता रामाराम पुत्र जीवाराम की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रार्थीगण के हक में तथा विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार कर आदेशित किया जाता है कि चक 4 एफ एफ ए तहसील श्रीकरनपुर के खाता सख्या 74 के मु0नं0 53 की 11 बीघा 6 बिस्वा खातेदारी भूमि किला नं0 1 ता 4 प्रत्येक

Scanned by CamScanner

16–16 बिस्वा व किला नं0 5 में 14 बिस्वा, किला नं0 6 में 18 बिस्वा व किला नं0 7 ता 12 प्रत्येक सालम–सालम तथा किला नं0 13/1 के 10 बिस्वा नहरी आराजी से भजन सिंह पुत्र हरबंस सिंह जाति जटसिख निवासी चक 4 एफ एफ ए तहसील श्रीकरनपुर को अतिक्रमी घोषित कर बेदखल किया जाता है और विवादित रकबा चक 4 एफ एफ ए तहसील श्रीकरनपुर के खाता सख्या 74 के मु0नं0 53 के 11 बीघा 6 बिस्वा नहरी आराजी का कब्जा प्रार्थीगण को दिलवाया जावे। चूंकि प्रार्थी रामाराम का देहान्त हो चुका है, मृतक रामाराम के वारिसान के नाम इन्तकाल दर्ज हो। प्रार्थीगण उक्त रकबा की पानी की पर्ची अपने नाम से बनवाये। निर्णय की प्रति पालना हेतु पटवारी हल्का मोटासरखूनी को प्रेषित होवे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली जैरदफा 183(बी) दर्ज रजिस्टर से कम होकर निर्णय शुमार होवे।

31.7.19

तहसीलदार (राजस्व),

श्रीकरनपुर।

Scanned by CamScanner